PRATYAKSHA INFRACON PVT. LTD.
(An ISO 9001:2015 Certified Company)

0651 3555061
+91 6203348336
24/1, Tagore Hill Road
Morabadi, Ranchi - 8
pipl.infracon@gmail.com

To,

Jharkhand Real Estate Regulatory Authority
7th Floor , Ranchi Municipal Corporation Building
Near Kutchary chowk Ranchi Jharkhand

Sub: Details of Fire Fighting facility.

As per the fire fighting requirement, fire advisory has been taken from fire department under letter no. 1410/2021 dated 08 may 2021.

Thank You

For Pratyaksha Infracon Pvt. Ltd.

Director

ज्ञापांक–1410/तक0 / 2021

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–08वीं मई 2021

सेवा में,

Mahabir Sahu and Ramvrit Sahu,
Bodeya Chowk Morhabadi Road.

विषयः– **मौजा–अरसन्डे, प्लॉट नं0–1685, खाता नं0–463, वार्ड नं0–00, थाना–कांके, जिला–राँची में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय एवं व्यावसायिक भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयक ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय एवं व्यावसायिक भवन हेतु प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, आड्रे हासस, राँची के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–168 दिनांक–14.04.2021के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय एवं व्यावसायिक भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. प्रस्तावित आवासीय भवन परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 1,00,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. प्रस्तावित भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम बीस–बीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ दोनों मुख्य स्टेयरकेश लॉबियों में 150mm डाया वाले एक–एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डाया का डिलिवरी आउटलेट तथा एक–एक अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. भवन के बेसमेन्ट एवं व्यावसायिक तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो एवं व्यावसायिक तलों को Smoke Detection System से सुरक्षित किया जाय।
6. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2850 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
7. 900 Lpm क्षमता वाले एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
8. 180 Lpm क्षमता वाले जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय।
9. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
10. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
11. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
12. उपर्युक्त भवन के प्रत्येक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
13. व्यावसायिक तलों के प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि–रोधी स्वचालित फायर चेक डोर का संस्थापन कराया जाय।
14. सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए।
15. सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।

16. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिसटेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
17. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
18. मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखा जाय।
19. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
20. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
21. Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर प्रत्येक स्टेयरकेश में हो।
22. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
23. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से पूर्व एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
24. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
25. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
26. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 एवं 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2021.05.08 14:47:04 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।